भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-173
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

विमुद्रीकरण एवं जीएसटी का प्रभाव

173. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विमुद्रीकरण एवं जीएसटी के प्रभाव के कारण अपने प्रतिष्ठानों के बंद होने की वजह से बड़ी संख्या में कामगार/मजदूर बेरोजगार हो गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त कामगार अभी भी बाजार में नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में उक्त कामगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): बेरोजगारी पर विमुद्रीकरण की उत्तरवर्ती अवधि का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 21.01.2019 तक योजना में 1,28,501 प्रतिष्ठानों तथा 1.05 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण को स्वीकृति दी गई है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार देश में औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाती रही है जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया तथा व्यापारिक पहलों को आसान बनाना। सरकार ने आसान व्यापार, आसान अनुपालन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा असंगठित कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने हेतु समर्थकारी वातावरण को सृजित करने के लिए श्रम सुधार आरंभ किए हैं।

*****